

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous **2nd** Bail Application No. 3670/2026

1. Avinash S/o Shri Lalit Kumar, Aged About 19 Years, R/o Lakoda Fala Ghati, Police Station Kherwara, District Udaipur. (At Present Lodged In Sub Jail Jhadole, Udaipur)
2. Sumit S/o Shri Chetan Lal, Aged About 20 Years, R/o Pahadu Haldu Ghata, Police Station Pahada, District Udaipur. (At Present Lodged In Sub Jail Jhadole, Udaipur)
3. Hitesh S/o Arvind, Aged About 19 Years, R/o Badla Fala, Amba Talai, Police Station Kherwara, District Udaipur. (At Present Lodged In Sub Jail Jhadole, Udaipur)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Ms. Shivangi Pathak
For Respondent(s)	: Mr. Shriram Chaudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI
(Through V.C.)
Order

20/04/2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण **अविनाश, सुमित एवं हितेश** की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदे 1 दिनांक **17.03.2026** के विरुद्ध यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा **483** के अन्तर्गत पुलिस थाना **खैरवाड़ा, जिला उदयपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— **243/2025**, अपराध अन्तर्गत धारा **115 (2), 126(2), 109(1), 118(1), 3(5) बी0एन0एस0** एवं धारा **4/25 आर्म्स एक्ट** में नियमित जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को मामले में झूठा फंसाया गया है, वे निर्दोष हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक

06.10.2025 से अभिरक्षा में है। विचारण के दौरान आहतगण राहुल, साहिल के अलावा चिकित्सा विशेषज्ञ साक्षी के भी बयान हो चुके हैं, इसके अतिरिक्त अन्य साक्षीगण के बयान भी हो चुके हैं। गवाह सागर पी0डब्ल्यू-4 पक्षद्रोही घोषित हुआ है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आहत राहुल के प्राणघातक चोट आना प्रकट हुआ है, अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा रखे गए तर्कों-वितर्कों पर मनन किया। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 06.10.2025 से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रार्थी/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय एवं अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्तगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/-रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000-25,000/-रुपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वे प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पे 11 पर उपस्थित होते रहेंगे तो प्रार्थी/अभियुक्तगण 1. **अविनाश पुत्र श्री ललित कुमार,** 2. **सुमित पुत्र श्री चेतनलाल एवं 3. हितेश पुत्र श्री अरविन्द** को (यदि वे अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

